भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1197

(दिनांक 09.02.2022 को उत्तर के लिए)

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति

1197. श्री के. मुरलीधरन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को स्थानांतरित करने तथा इस हेतु राज्य सरकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता को समाप्त करने की योजना बना रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : तीनों अखिल भारतीय सेवाओं की वर्तमान संवर्ग नियमावली में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का प्रावधान निहित है। तथापि, राज्य सरकारें भारत सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित (स्पांसर) नहीं कर रही हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़ी संबंधित संवर्ग नियमावली के नियम 6(1) में संशोधन के लिए प्रस्ताव के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां मांगी गई है।

****